न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर (राज.)
सत्यमेव जयते
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्र0सं0 03/2012

निर्मलकौर पत्नी श्री दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।

अपीलांट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार (राजस्व)
करणपुर दिनांक 23–03–2012

उपस्थित : 1. श्री राजेश गुम्बर, अधिवक्ता, अपीलांट
2.. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 कीं ओर से।

आदेश दिनांक : 12.04.2022

अपीलांट द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट स्टेट के खिलाफ अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थिया सन् 1955 से पूर्व की राजस्थान की निवासी है तथा भूमिहीन काश्तकार है एवं उसके परिवार वाले राजस्थान के मूल निवासी हैं। अपीलान्टा के कब्जा काश्त में चक 15 एस तहसील श्रीकरणपुर के मु0 नं0 132 का 25 बीघा अर्सा दराज से कब्जा काश्त में चला आ रहा है तथा रकबा आवंटन करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। पटवारी की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुए अपीलार्थिया के खिलाफ 450/– रू. तावान रबी 2068 फसल के लिए कायम करने व बेदखल कर फसल निलाम करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । अपीलाधीन आदेश स्पिकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है, न ही पटवारी से जॉच करवाई गई , न ही सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया गया है, न ही रेकार्ड की जॉच की गई है, न ही कानूनी प्रकिया अपनाई गई है और न ही मौका देखा गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांटा के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थिया सन् 1955 से पूर्व की राजस्थान की निवासी है तथा भूमिहीन काश्तकार है एवं उसके परिवार वाले राजस्थान के मूल निवासी हैं। अपीलान्टा के कब्जा काश्त में चक 15 एस तहसील श्रीकरणपुर के मु0 नं0 132 का 25 बीघा अर्सा दराज से कब्जा काश्त में चला आ रहा है तथा रकबा आवंटन करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। पटवारी की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुए अपीलार्थिया के खिलाफ 450/– रू. तावान रबी 2068 फसल के लिए कायम करने व बेदखल कर फसल निलाम करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । अपीलाधीन आदेश रिपकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पटवारी से जॉच की गई, न ही सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया गया है, न ही रेकार्ड की जॉच की गई है, न ही कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है और न ही मौका देखा गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् पारित किया गया है। अपीलांटा अतिक्रमी है। वर्ष 2012 की रबी फसल की लिए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था । अपीलांटा द्वारा आवंटन के संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलांटा द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से मु0 नं0132 की 25 बीघा भूमि पर अतिचार किया हुआ है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 2–3–12 के अनुसार चक 15 एस के मु0 नं0 132 के कि0 नं0 1 ता 25 की 6.325 है0 भूमि रेकार्ड में रकबा राज हैं जिसपर अपीलांटा द्वारा नाजायज काश्त किया हुआ है। भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 11–4–12 के अनुसार कुर्क शुदा फसल की निलामी मौके पर की गई तथा अधिकतम बोलीदाता अपीलांटा के नाम छोड़ी गई। निलामी राशि जमा होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निलामी स्वीकृति जारी की गई। **भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10–10–12 के अनुसार अपीलांटा निर्मलकौर पत्नी दर्शनसिंह जाति जटसिख साकिन खरंलां हाल करणपुर को चक 15**

अतिरिक्त जिला कलक्टर। सतर्कता
श्रीगंगानगर

एस के मु0 नं0 132 से बेदखल कर दिया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 27–12–12 के अनुसार कुर्क शुदा फसल की निलाती 3–4–12 को चार हजार रू0 में अपीलांटा के नाम से छोड़ी गई थी। एक चौथाई राशि एक हजार रू0 जरिये चालान सं0 57 दिनांक 4–6–12 को जमा करवा दी गई थी तथा शेष राशि तीन हजार रू0 जरिये चालान सं0 495 दिनांक 26–12–12 को जमा करवा दी गई।

अपीलांटा द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलाधीन भूमि उसको अलॉट हो और न ही उसके द्वारा पुख्ता आवंटन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है कि प्रकरण वर्तमान में आवंटन हेतु विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से यह पूर्णरूप से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि राजस्व रेकार्ड में आराजी राज दर्ज है और अपीलांटा अतिक्रमी है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुजांयश नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थीया अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–03–12 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 12–04–22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner